प्रवेश/पंजीकरण

माध्यमिक विद्यार्थी

• प्रवेश/पंजीकरण–विद्यार्थी की आयु 1 जुलाई 2011 को 14 वर्ष पूर्ण होनी आवश्यक है। इस प्रकार केवल वे ही विद्यार्थी जिनकी जन्मतिथि 01.07.1997 या इससे पूर्व की हो, प्रवेश के योग्य हैं।

• 01.07.1997 के बाद की जन्मतिथि के शिक्षार्थी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उसका आवेदन–पत्र स्वत: निरस्त माना जाएगा। नियमित विद्यार्थी अपनी मूल टी. सी. व बिहार से बाहर के शिक्षार्थी जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित टी. सी. अवश्य संलग्न करें।

• **पाठ्यक्रम -** शिक्षार्थी को ग्रुप ''अ'' एवं ''ब'' दोनों में से किन्हीं 5 विषयों (टी.ओ.सी. सहित) में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है जिसमें ग्रुप ''अ'' से एक या दो भाषाएँ ले सकते हैं। दो से अधिक भाषाएँ किसी भी स्थिति में पंजीयन में नहीं ले सकते हैं। भाषा का कोई भी तीसरा विषय अतिरिक्त विषय के रूप में ही लिया जा सकता है। **शेष विषय ग्रुप ''ब'' में चयन करने हैं। पंजीयन के पाँच विषयों में से यदि तीन विषय भाषा से सम्बन्धित होंगें तो शिक्षार्थी का परीक्षा परिणाम रोक लिया जाएगा।**

• **टी.ओ.सी.-**टी.ओ.सी. का लाभ केवल उस शिक्षार्थी को हो दिया जाएगा जो मूल आवेदन–पत्र के साथ अपनी **मूल अंक तालिका संलग्न** करेगा। अधिकतम दो विषयों में इसका लाभ देय है परन्तु दोनों विषय एक ही वर्ष में उत्तीर्ण किये गये हों और आवेदन करते समय अंक तालिका 5 वर्ष से पूर्व की न हो

• पुन: प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों के लिए यह सुविधा अधिकतम उत्तीर्ण चार विषयों में हैं।

• शिक्षार्थी जिन विषयों में टी.ओ.सी. चाहते हैं उन विषयों के अंक तथा पूर्व परीक्षा का रोल नम्बर एवं बोर्ड का नाम आवेदन–पत्र में अवश्य अंकित करे।

• टी.ओ.सी. लेने वाले शिक्षार्थियों को पंजीकरण के लिए पाँचों विषय भरने हैं अर्थात् पंजीकृत विषयों में से ही टी.ओ.सी. के विषय भी अंकित करने हैं।

• **परीक्षा-**परीक्षा के लिए भरे जाने वाले विषयों में टी.ओ.सी. के विषयों को अंकित नहीं करना है।

उच्च माध्यमिक शिक्षार्थी

• **प्रवेश/पंजीकरण-**शिक्षार्थी की आयु 1 जुलाई 2011 को 15 वर्ष पूर्ण होनी आवश्यक है। इस प्रकार केवल वे ही विद्यार्थी जिनकी जन्मतिथि 01.07.1996 या इससे पूर्व की है, प्रवेश के योग्य हैं।

• 01.07.1996 के बाद की जन्मतिथि के शिक्षार्थी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा उसका आवेदन-पत्र स्वत: निरस्त माना जाएगा। **शिक्षार्थी जन्मतिथि हेतु अपनी माध्यमिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की अंक तालिका की सत्यापित छाया प्रति व बिहार राज्य से बाहर के शिक्षार्थी एवं बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के शिक्षार्थी**
अपना मूल प्रव्रजन (माइग्रेशन) अवश्य संलग्न करें।

• **पाठ्यक्रम -** प्रत्येक शिक्षार्थी को ग्रुप ''अ'' एवं ''ब'' दोनों में से किन्हीं 5 विषयों (टी.ओ.सी. सहित) में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है जिसमें ग्रुप ''अ'' से एक या दो भाषाएँ ले सकते है। दो से अधिक भाषाएँ किसी भी स्थिति में पंजीयन में नहीं ले सकते हैं। भाषा का कोई भी तीसरा विषय अतिरिक्त विषय के रूप में ही लिया जा सकता है।
शेष विषय ग्रुप ''ब'' से चयन करने हैं। पंजीयन के पाँच विषयों में से यदि तीन विषय भाषा से सम्बन्धित होगें तो शिक्षार्थी का परीक्षा परिणाम रोक लिया जाएगा।

• **टी.ओ.सी.-**टी.ओ.सी. का लाभ केवल उस शिक्षार्थी को ही दिया जाएगा जो मूल आवेदन-पत्र के साथ अपनी **मूल अंक तालिका संलग्न** करेगा। अधिकतम दो विषयों में इसका लाभ देय है परन्तु दोनों विषय एक ही वर्ष में उत्तीर्ण किये गये हों और आवेदन करते समय अंक तालिका 5 वर्ष से पूर्व की न हो।

• पुन: प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थियों के लिए यह सुविधा अधिकतम उत्तीर्ण चार विषयों में हैं।

• विद्यार्थी जिन विषयों में टी.ओ.सी. चाहता है उन विषयों के अंक, पूर्व परीक्षा का रोल नम्बर तथा बोर्ड का नाम आवेदन-पत्र में अवश्य अंकित करे।

• टी.ओ.सी. लने वाले शिक्षाथियां को पजीकरण क लिए पाँचो विषय भरन हैं अथात पंजोकृत विषयों में स ही टी.आ.सी. के विषयों के विषय भी अंकित करने है।

• **परीक्षा-** परीक्षा के लिए भरे जाने वाले विषयों में टी.ओ.सी. के विषयों को अंकित नहीं करना है।

• अप्रैल-मई 2011 में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षार्थी आगामी दिसम्बर-जनवरी 2012-13 में होने वाली परीक्षा में केवल चार विषयों की ही परीक्षा देने के पात्र होंगे। ऐसे शिक्षार्थी परीक्षा के लिए भरे जाने वाले विषयों में प्रथम चार विषयों को भरेंगे। पंजीकरण पाँच विषयों में ही होगा। अतिरिक्त विषय भी नहीं भरेगें एवं पाँचवा विषय जून-जुलाई 2013 में ही उत्तीर्ण कर सकेंगे।

• अप्रैल–मई 2010 में 10 वीं उत्तीर्ण परिक्षार्थी 12 वीं कक्षा के लिए जून–जुलाई, 2012 में पाँचों विषयों में बैठने के पात्र होंगे।
• माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक प्रमाण–पत्र प्राप्ति से स्पष्टतः दो वर्ष का अन्तराल होना आवश्यक हैं।

नोटः–

1. विवरणिका को सावधानीपूर्वक पढ़कर इसमें दिये गये अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से ही प्रवेश लें तथा आवेदन–पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।

2. I. C. R. शीट को शिक्षार्थी काला बॉल पाइण्ट पेन से अंग्रेजी में ही भरें, व उसे मोड़े नहीं।

3. विवरणिका में उल्लेखित निर्देशों को पढ़कर आप अपनी प्रवेश योग्यता को पूरा करके **स्वयं आवेदन–पत्र भरें तथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, पता, जन्मतिथि आदि सही अंकित करें। अपूर्ण/काट–छाँट/ओवर राइटिंग/गलत सूचना पर आवेदन–पत्र स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा।** Admission Form **में '*' अकिंत वाले कॉलम को परिशिष्ट दिए गए निर्देशों को पढ़ने के बाद ही करें। जिसकी बोर्ड द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी जाएगी।**

4. शिक्षार्थी की मूल टी. सी. एवं टी.ओ.सी. लेने वाले शिक्षार्थी की मूल अंक तालिका नियमानुसार वापस नहीं की जायेंगी। इनके अलावा अन्य सभी दस्तावेज/प्रमाण–पत्र की सत्यापित छाया प्रति ही संलग्न करें।

5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक अथवा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षार्थी ही बारहवीं कक्षा हेतु आवेदन करें।

6. जब भी आप बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड को पत्र लिखें, कृपया अपनी नामांकन संख्या,अध्ययन केन्द्र संख्या पूरा पता तथा दूरभाष/मोबाईल नम्बर लिखना न भूलें।

7. विदेशी बोर्ड/विदेशी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश समतुल्यता के बिन्दु पर जाँच के बाद ही दिया जायेगा।

प्रवेश एवं शुल्क

प्रवेश एवं पंजीयन

राज्यभर में फैले हुए 845 अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। इन अध्ययन केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-1 पर दी गई है।

पंजीकरण हेतु प्रवेश की तिथियाँ

आवेदकों के लिए पंजीकरण हेतु प्रवेश की तिथियाँ सभी अध्ययन केन्द्रों पर निम्नलिखित है।

- दिसम्बर 2011 से 31 जनवरी, 2012 तक (बिना विलम्ब शुल्क) सभी अध्ययन केन्द्रों पर
- 1 फरवरी, 2012 से 15 फरवरी, 2012 तक (250/- रु. विलम्ब शुल्क सहित) सभी अध्ययन केन्द्रों पर
- 16 फरवरी, 2012 से 29 फरवरी, 2012 तक (350/- रु. विलम्ब शुल्क सहित) सभी अध्ययन केन्द्रों पर
- 1 मार्च, 2012 से 15 मार्च, 2012 तक (500/- रु. विलम्ब शुल्क सहित) सभी अध्ययन केन्द्रों पर

प्रवेश प्रक्रिया

- प्रवेश के लिए शिक्षार्थी अध्ययन केन्द्र पर निर्धारित शुल्क जमा कर विवरणिका प्राप्त करें।

- पंजीकरण हेतु प्रवेश के लिए बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, अध्ययन केन्द्र के माध्यम से विवरणिका के अन्त में दिये गये निर्धारित आवेदन पत्रों (तीन प्रतियों में μ मूल प्रति, दूसरी सन्दर्भ प्रति तथा कम्प्यूटर इनपुट) में ही आवेदन करें।

- कृपया आवेदन-पत्र भरने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें।

- बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड आवेदन-पत्र जमा करने की स्थिति में शुल्क के साथ आवेदन-पत्र शुल्क 50/- रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

- अपने चयनित अध्ययन केन्द्र पर निर्धारित शुल्क के साथ पूरी तरह से भरे हुए तीनों आवेदन-पत्रों की मूल प्रति आवश्यक प्रमाण पत्र सहित, दूसरी प्रति तथा कम्प्यूटर इनपुट को जमा कराएं।

- अध्ययन केन्द्र में आवेदन-पत्र और शुल्क का भुगतान करने पर केन्द्र द्वारा अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा।

- अधूरे/काट-छाँट/ओवर राइटिंग/गलत सूचनाओं तथा बिना प्रमाण पत्रों के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जिसकी शिक्षार्थी को कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

दोहरा नामांकन अथवा आंशिक नामांकन

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में आंशिक प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए अपनी पसन्द के अनुसार कम से कम एक और अधिकतम चार विषयों में पंजीकरण करवा सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी को उत्तीर्ण होने पर केवल अंक सूची ही दी जाएगी। उसे कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा तथा उन्हें क्रेडिट स्थानान्तरण (टी.ओ.सी.) का लाभ भी देय नहीं होगा।

नोट :

(i) शिक्षार्थी जिस भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदन-पत्र के साथ उत्तीर्णता की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें।

(ii) उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी जन्मतिथि हेतु अपनी माध्यमिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की अंक तालिका आवश्यक रूप से संलग्न करें।

प्रवेश निश्चित करना एवं पहचान पत्र जारी करना

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने पर बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा पंजीकृत शिक्षार्थी का पहचान पत्र जारी किया जायेगा, जिसे शिक्षार्थी अपने अध्ययन केन्द्र से प्राप्त कर सकेंगे। पहचान पत्र में यदि कोई त्रुटि हो तो तुरन्त अपने अध्ययन केन्द्र से सम्पर्क करें ताकि उसके अनुरूप संशोधन किया जा सके। पहचान पत्र सिर्फ एक बार ही जारी किया जाएगा। इसलिए सभी शिक्षार्थी बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड में पाठ्यक्रम पूरा होने तक अपना पहचान पत्र संभालकर रखें।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के लिए अनिवार्य योग्यता एवं प्रमाण-पत्र

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रवेश हेतु पंजीकरण के लिए तालिका-2 (क, ख) अनुसार आयु एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

तालिका-2

(क) आयु सम्बन्धी आवश्यक योग्यताएँ

माध्यमिक पाठ्यक्रम उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम

न्यूनतम आयु-1 जुलाई, 2011 को 14 वर्ष पूर्ण न्यूनतम आयु-1 जुलाई, 2011 को 15 वर्ष पूर्ण

आयु प्रमाण-पत्र आयु प्रमाण-पत्र

• पिछले विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर से जहाँ पढ़ाई किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका समाप्त की है, का स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र/मूल एवं प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जिसमें जन्मतिथि स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C.) अंकित हो। अथवा (उच्च माध्यमिक प्रवेश हेतु आयु का माध्यमिक

• रजिस्ट्रार, मृत्यु एवं जन्म कार्यालय द्वारा जारी परीक्षा प्रमाण पत्र या अंक तालिका की सत्यापित प्रति जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।)

अथवा

• राजकीय चिकित्सालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)

अथवा

• माता-पिता द्वारा शपथ-पत्र जो प्रथम-श्रेणी/सब- डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो। (जिसमें जन्म-तिथि अंकित हो)

नोट :

(i) नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्रवेश निरस्त हो जायेगा।

(ii) आयु के लिए निर्धारित जन्म प्रमाण-पत्र के बिना कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन-पत्र में लिखी जन्मतिथि एवं संलग्न जन्म प्रमाण-पत्र में कोई काट-छाँट/ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए।

(iii) आवेदन-पत्र में लिखी जन्म-तिथि संलग्न जन्म प्रमाण-पत्र के अनुसार ही हो यदि इसमें कोई अन्तर पाया गया तो आवेदन-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा जिसकी कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अतः सही जन्म-तिथि जाँच कर ही लिखें।

(iv) निजी विद्यालय एवं बिहार राज्य से बाहर के शिक्षार्थियों की टी.सी. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

(ख) न्यूनतम शैक्षिक योग्यता

माध्यमिक पाठ्यक्रम हेतु उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम हेतु

नवीं कक्षा तक कोई भी कक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण तथा बिहार विद्यालय शिक्षा समिति पटना द्वारा मान्यता माध्यमिक कक्षा अनुत्तीर्ण प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक/हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण का अथवा प्रमाण पत्र। स्व-अध्ययन प्रमाण-पत्र

नोट :

(i) उच्च माध्यमिक परीक्षा के आवेदन के लिये जिस शिक्षार्थी ने माध्यमिक परीक्षा इसी वर्ष अप्रैल-मई 2011 में उत्तीर्ण की है, वह दिसम्बर-जनवरी 2012-13 में होने वाली परीक्षा में केवल चार विषय की ही परीक्षा देने का पात्र है। परीक्षा के लिए भरे जाने वाले विषयों में शिक्षार्थी किन्हीं चार विषयों को भरेंगें परन्तु पंजीकरण पाँच विषयों में ही होगा। ऐसे शिक्षार्थी अतिरिक्त विषय नहीं ले सकते हैं।

(ii) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षा में प्रवेश लेने वाले पूर्व उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण नियमित (Regular) शिक्षार्थी अपनी मूल टी.सी. अवश्य संलग्न करें।

(iii) माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यदि शिक्षार्थी बिहार राज्य से बाहर के हैं तो दसवीं तक कोई भी कक्षा अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) संलग्न करेंगे।

(iv) बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड से माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण शिक्षार्थी उच्च माध्यमिक कक्षा में प्रवेश लेने हेतु अपना मूल प्रव्रजन (माईग्रेशन) प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

(v) उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए यदि शिक्षार्थी बिहार राज्य से बाहर का है तो मूल प्रव्रजन (माईग्रेशन) प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

(vi) बिहार विद्यालयी परीक्षा समिति, पटना द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची वेबसाईट www.bbose.org पर उपलब्ध है।

(vii) विदेशी बोर्ड/विदेशी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण शिक्षार्थी बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं है।

शुल्क में छूट का विवरण

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क राशि में रुपये 225/- की छूट दी जायेगी। छूट प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और विकलांग व्यक्ति तालिका-4 में दिये अनुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

तालिका-4

शुल्क में छूट

श्रेणी संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

1. महिला वर्ग —
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थी • अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की छाया प्रति
3. विकलांग शिक्षार्थी • विकलांगता का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विकलांगता के राजकीय विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए जिसमें विकलांगता की प्रकृति और स्थिति स्पष्ट से लिखी गई हो।
4. भूतपूर्व सैनिक • नियोक्ता का प्रमाण-पत्र

अन्य सार्वजनिक परीक्षा के शुल्क सम्बन्धी विवरण

शिक्षार्थी अतिरिक्त विषय या विषय परिवर्तन चाहता है, तो शिक्षार्थी को निम्नलिखित तालिका-5 अनुसार शुल्क जमा करना होगा तथा इसके लिए परीक्षा आवेदन-पत्र भरना होगा।

तालिका-5

विषय परिवर्तन/अतिरिक्त विषय के लिए शुल्क का विवरण

क्र.सं. परीक्षा शुल्क माध्यमिक उच्च माध्यमिक

(प्रति विषय) (प्रति विषय)

1. विषय परिवर्तन/अतिरिक्त विषय हेतु शुल्क रु. 280/- रु. 340/-
2. सैद्धान्तिक परीक्षा शुल्क रु. 100/- रु. 130/-
3. प्रायोगिक परीक्षा शुल्क रु. 60/- रु. 60/-
4. अग्रेषण शुल्क रु. 5/- रु. 5/-

नोट :

प्रथम पंजीकरण सत्र की परीक्षा होने के पश्चात् आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा हेतु मात्र रुपये 100/- प्रति विषय माध्यमिक स्तर एवं रुपये 130/- प्रति विषय उच्च माध्यमिक स्तर पर शुल्क देना होगा। माध्यमिक परीक्षा म सम्मिलित होने वाले शिक्षार्थियों का प्रायोगिक विषय में प्रायोगिक शुल्क रुपये 60/- प्रति विषय अतिरिक्त देना होगा और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थी को प्रायोगिक परीक्षा देने पर केवल प्रायोगिक का शुल्क तथा सैद्धान्तिक परीक्षा देने पर केवल सैद्धान्तिक परीक्षा का शुल्क देना होगा।

अंकतालिका/प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति अथवा औपबन्धिक (प्रॉविजनल)

शिक्षार्थी अंक तालिका/प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति अथवा औपबन्धिक (प्रॉविजनल) प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तालिकानुसार ड्राफ्ट बनवायें।

तालिका-6

अन्य विविध शुल्क

- अंक तालिका सह प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति रु. 100/-
- प्रव्रजन (माइग्रेशन) प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति रु. 100/-
- अंक तालिका की द्वितीय प्रति रु. 100/-
- उत्तर-पुस्तिका की पुनर्गणना (प्रति विषय) रु. 200/-

नोट :

(i) तालिका-6 के शुल्क का डिमाण्ड-ड्राफ्ट CEO, BBOSE, PATNA के पक्ष में तथा PATNA में देय होना चाहिए, जिसे परिशिष्ट-2 में अंकित आवेदन-पत्र में भरकर भेजें।

(ii) द्वितीय (डुप्लीकेट)/औपबन्धिक (प्रॉविजनल) अंक तालिका/प्रमाण-पत्र मंगाये जाने पर रु. 100/- प्रति प्रमाण-पत्र एवं
रु. 40/- डाक खर्च के भी देने होंगे।